आदेश	कार्यवाही विवरण	अनुपालना के क्रमांक व दिनांक
26/6/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित अप्रार्थीगण के खिलाफ मूलवाद में एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की जा चुकी है। अतः इस पत्रावली में भी अप्रार्थीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 28/6/24 को पेश हो। [signature] 26/6/24	
28/6/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित बहस सुनी गई। बहस में वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि खसरा नं० 2035/1578 ग्राम बागोरिया की भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त अविभाजित आराजी है। जिसे अप्रार्थीगण बिना विभाजन करवाये अजनबी व्यक्ति को बेचान करने पर आमादा है। अगर ऐसा होता है, तो कब्जेकाश्त को लेकर विवाद बढ़ेगा तथा वाद बहुलता की आशंका है। अतः मूलवाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि खसरा नं० 2035/1578 प्रार्थी व अप्रार्थीगण की अविभाजित आराजी है जिसका विभाजन का वाद न्यायालय में पेश किया गया है। मूलवाद को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर दिनांक 26.09.23 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जा चुका है। अतः प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित है। अगर बिना विभाजन बेचान होता है, तो मूलवाद में निस्तारण होने में विलम्ब होगा तथा वादबहुलता होने की भी संभावना है। अतः वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। [signature]	P.T.O.

आदेश	कार्यवाही विवरण	अनुपालना के क्रमांक व दिनांक
क्रमांक	**आदेश** प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। तथा अप्रार्थीगण को खसरा नं 2035/1578 ग्राम बगोरिया की दाबी के राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति मूलवाद के निस्तारण तक बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 28.06.24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। हस्ताक्षर 28/06/24 सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़	